संख्या-20/2016/ 2325 /71-आयुष-2-2016-41/2015

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में बेलहरकलॉ जनपद सन्तकबीरनगर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/03/15/2016-17/10794, दिनांक 08-09-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेलहरकलॉ जनपद सन्तकबीरनगर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन रू0 44,36,000/- (रू0 चौवालिस लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा इसके सापेक्ष धनराशि रू0 20,00,000 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सख्या-03/2016/202/71-आयुष-2-2016-टी-27/2015, दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा निर्गत की गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 मे अनुदान संख्या-34-लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-05-अस्पताल और औषधाल-0501-होम्योपैथिक चिकित्सालय-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 24.36 लाख के सापेक्ष रू0 24.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है-:

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृति जा रही है, किन्ही अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय एवं व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि मे अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- अवमुक्त धनराशि का आहरण अवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को पी0एल0ए0/बैक खाते मे नही रखा जायेगा।
4- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 मे उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व मे किसी अन्य योजना-कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृति है और न वर्तमान मे किसी अन्य योजना-कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 के अधीन लेखा शीर्षक " 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्य-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय -05-अस्पताल और औषधालय-0501-होम्योपैथिक चिकित्सालय-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-3-2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2016/2325(1)/71-आयुष-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
4- प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लखनऊ।
5- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, संतकबीरनगर ।
6- कोषाधिकारी, संतकबीरनगर ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।